उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 88/2022/1925/छप्पन-2022-23/2017
लखनऊ, दिनांक: 08 दिसम्बर, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

नियुक्ति

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 82/2022/1403/छप्पन-2022-23/2017, दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 के द्वारा नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की परिचालन इकाई में पायलट (फिक्स्ड विंग) के रिक्त पद पर श्री गिरीश कुकरेजा को संविदा सेवा पर नियुक्त किया गया था। श्री गिरीश कुकरेजा के ई-मेल पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2022 के द्वारा पारिवारिक कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण/ योगदान प्रस्तुत नहीं किया गया है | कार्यभार ग्रहण नहीं किए जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-87/2022/1846/छप्पन-2022-23/2017 दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के द्वारा श्री गिरीश कुकरेजा की नियुक्ति/ अभ्यर्थन को निरस्त किया गया है | श्री गिरीश कुकरेजा के स्थान पर पायलट भर्ती साक्षात्कार की वरीयता सूची में द्वितीय स्थान पर रहे श्री मोहित चतुर्वेदी को नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0 में कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रामिक/भत्तों के निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या:-8/2019/193/छप्पन-2019-17/2014 दिनांक 29 जनवरी, 2019 में फिक्स्ड विंग के संविदा सेवा के पायलट-इन-कमाण्ड के लिए अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक रेन्ज (रू0 2.50 लाख से रू0 07.00 लाख) के अन्तर्गत प्रारम्भिक रूप से रू0 06.00 लाख के नियत मासिक पारिश्रामिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ता तथा नियमानुसार अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर नागरिक उड्डयन निदेशालय की परिचालन इकाई के फिक्स्ड विंग में पायलट-इन-कमाण्ड (पायलट फिक्स्ड विंग) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिए श्री राज्यपाल संविदा पर नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- श्री मोहित चतुर्वेदी को उक्त संविदा अवधि में उपर्युक्त नियत मासिक पारिश्रमिक व अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे।

3- श्री मोहित चतुर्वेदी से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक-एक प्रति उन्हें एवं शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

4- इस पत्र के जारी होने के 20 दिन के अन्दर श्री मोहित चतुर्वेदी द्वारा स्वीकृति-पत्र प्रेषित करना अनिवार्य है तथा यदि वह इस पत्र की तिथि से 03 माह के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित नहीं होते हैं तो उनका अभ्यर्थन स्वत: निरस्त समझा जाएगा। विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई अन्य पत्राचार नहीं किया जाएगा।

कुमार हर्ष
विशेष सचिव

श्री मोहित चतुर्वेदी,
20/138, इन्दिरा नगर,
लखनऊ- 226016

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0सं0- 88/2022/1925(1)/छप्पन-2022-23/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री मोहित चतुर्वेदी से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध-पत्र निष्पादित करके उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
2. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0 प्रयागराज।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
6. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।